



2026:AHC.9197

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19769 वर्ष 2025

देवेन्द्र सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अजय कुमार पाल, विक्रम प्रताप सिंह
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पाल और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह वर्ष 2015 में संविदात्मक तौर पर कार्य कर रहा था, किंतु 01.06.2023 से पिछले 28 महीनों का पारिश्रमिक उसे नहीं दिया गया है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता मार्च, 2023 से कार्य नहीं कर रहा है और उसे पूरा पारिश्रमिक भुगतान कर दिया गया है; तथापि, उनका निवेदन है कि यदि रिट याचिकाकर्ता को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे इस संबंध में अभिलेख और ड्यूटी चार्ट प्रस्तुत करना चाहिए।



5. इस प्रकार के निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. विपक्ष के तर्कों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह एक विस्तृत प्रत्यावेदन, साथ ही रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति, ड्यूटी चार्ट और अन्य दस्तावेज़ (जो यह दर्शाते हों कि याचिकाकर्ता को अभी तक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है) तृतीय प्रत्यर्थी—प्रभागीय वन अधिकारी, आगरा वन प्रभाग, जिला आगरा, उ. प्र. के समक्ष प्रस्तुत करे। तृतीय प्रत्यर्थी, उक्त दस्तावेज़ प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर, पूरी तरह से विधि के अनुसार, इस पर निर्णय देंगे। यदि तृतीय प्रत्यर्थी की यह राय बनती है कि इस मामले पर निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए, तो वे संबंधित दस्तावेज़ उस प्राधिकारी को भेज देंगे।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित की जाती है।**

9. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

जनवरी 14, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)